

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिढावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम बोरगा जमाबंदी सं 2012-15 के खाता सं 44 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लुटीकीय नुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतीनी खाता सं.	भू प्रबंध खतीनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज / नुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
44	भगवान पुत्र पन्नालाल 180 /44 जाति चमर साठ देव खाला	44	भगवान पुत्र पन्नालाल 180/44 जाति चमर साठ देव खाला	भगवानलाल पुत्र पन्नालाल 180/44 जाति चमर साठ देव खाला

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. भगवानलाल पुत्र पन्नालाल चमर
2. जगदीश पुत्र रामलाल चमर
3. परतीलाल पुत्र रामलाल चमर
4. _____

हस्ताक्षर
अभिलेख निरीक्षक
जगदीश चमर

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम बोरगा के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज नुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी
प० न० 10121

रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज नुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

भूअभिलेख निरीक्षक

भूअ०नि०वृ० अभिलेख

28/07/2024



रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअगिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम बोरदा के वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार (भू.अ.)
पिड़ाया जि. झालावाड़

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 328

दिनांक : 06/10/25

वादी/प्राथी के ग्राम बोरदा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कॉलम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कॉलम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0